ISSN 2278-8808
An International Peer Reviewed
SJIF 2013 = 4.194
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

विद्यालयी ि"ाक्षा व्यवस्था में सामुदायिक सहभागिताः एक अध्ययन

Ved Prakash, Ph.D, Principal, Shree Satya Sai B.Ed. College Karaiwala, Malout.

भारत में सदियों से विद्यालय और समुदाय का घनिष्ठ संबंध रहा है। प्राचीनकाल से ही भारत में आश्रम,गुरूकुल तथा मदरसे जैसी ि"ाक्षा संस्थाओं की व्यवस्था समुदाय द्वारा होती थी। भारत में पहले समुदाय के सहयोग से धर्म"ालाओं, रास्तों, तालाब, स्कूल तथा प्याउ का निर्माण किया जाता था। इस तरह विद्यालय और समुदाय एक दूसरे की आव"यकताओं की पूर्ति करते थे । ब्रिटि"ा शासन के आगमन से ि"ाक्षा संस्थाऐ समुदाय से हटकर राज्याश्रित होने लग गई थी। 19वीं सदी में सरकार ने ि"ाक्षा का उत्तरदायित्व लिया जो 20वीं सदी कें मध्य में उच्च स्तर पर था। जवाहर लाल नेहरू ने 2 अक्टूबर,1959 को नागौर, राजस्थान में अपने भाषण में कहा था कि हमें एकता और भाईचारे की भावना तथा अपने काम में और खुद में वि"वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह प्र"न था कि यदि लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी गई तो शायद वे इसे निबाह नहीं पायेंगे। लेकिन लोगों को मौका देने के बाद ही उन्हें जिम्मेदारी वहन करने के लिए प्र"िाक्षित किया जा सकता है। यह आव"यक हो गया कि एक साहस भरा कदम उठाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी लोगों को सौंपी जा सके। लोगों की केवल राय नहीं लेनी बल्कि कारगर ताकत सौंपनी है। स्वतंत्र भारत में 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था लेकिन यह कार्यक्रम इसलिए असफल रहा क्योंकि इसमें उन लोगों की सहभागिता नहीं हो सकी जिसके लिए इसे बनाया गया था। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अनुभव किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में सामुदायिक सहभागिता नहीं है। सामुदायिक विकास तभी सफल हो सकता है जब समुदाय स्वयं अपनी समस्याओं का एहसास करे, अपने उत्तरदायित्वों की ओर सचेतन हो तथा उनके पास यथासंभव स्थानीय प्र"ासन पर नियंत्रण रखने की समुचित वैधानिक शक्ति प्राप्त हो सभी विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं क्रियान्वयति स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से चाहती थी। समिति ने सामाजिक ि"ाक्षा को पंचायती राज के कार्य में शामिल किया था। कोठारी कमी"ान 1964–66 के अनुसार यह अनिवार्य है कि स्कूल और स्थानीय जन समुदाय ि"ाक्षा के कार्य में घनिष्ठता से साथ–साथ रहें। इससे ि"ाक्षा के विकास के लिए स्थानीय ज्ञान,रूचि और उत्साह का उपयोग हो

सकेगा। स्कूलों के दैनंदिन प्र"ाासन का स्थानीय जनता के साथ यथासंभव घनिष्ठ सपंर्क होना चाहिए। कोठारी कमी"ान का पुख्ता अभिमत है कि यह भी स्मरण रखना होगा कि ि"ाक्षा का प्रबंध प्रत्येक माता–पिता और परिवार से है और उसे जन साधारण के अधिक से अधिक संपर्क में रखना चाहिए। ि"ाक्षा का सर्वोत्तम प्र"ाासन स्थानीय जन समुदाय के द्वारा अथवा उससे घनिष्ठ सहयोग से ही संचालित हो सकता है। हनुमंतराव समिति 1983 ने भी पुरजोर शब्दों में कहा कि स्थानीय स्तर पर योजना की दृष्टि से जनभागीदारी अति महत्त्तवपुर्ण ही नहीं अपितु इसे अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। जी. वी. के. राव समिति 1985 ने भी जिला स्तर की योजना बनाने में जन सामान्य की भागीदारी पर जोर दिया। इससे स्थानीय संस्थाओं की स्वायत्तता, प्र"ाासनिक दक्षता तथा योजना के सूक्ष्म पहलुओं को समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय ि"ाक्षा नीति 1986 में भी ि"ाक्षा में सामुदायिक सहभागिता के स्पष्ट निर्दे"ा है कि ि"ाक्षा की आयोजना और प्रबंध में लोक–भागीदारी को प्रधानता देनी है और प्रदत्त उद्दे"यों व मानदण्डों के संबंध में जवाबदेही के सिद्धांत की स्थापना करना है। ऑपरे"ान ब्लैक बोर्ड कार्य में शासन स्थानीय निकाय, स्वयं सेवी संस्थाओं और व्यक्तियों की पूरी भागीदारी होगी। 1986 की ि"ाक्षा नीति इस ओर भी ध्यान देती है कि जिस हद तक संभव होगा, विभिन्न तरीकों से साधन जुटाए जाएंगे और चंदा इकट्ठा करना,

---

इमारतों का रख–रखाव तथा रोज–मर्रा काम में आने वाली वस्तुओं की पूर्ति में स्थानीय लोगों की मदद ली जाएगी। इस तरह के उपाय न केवल राज्य संसाधनों पर बोझ को कम करने के लिए किए जाएंगे, अपितु शैक्षिक प्रणाली में जनता के प्रति जवाबदेही की व्यापक भावना को पैदा करने के लिए कारगर होंगें। राममूर्ति समिति 1990 का मानना है कि केवल ि"ाक्षा में ही नहीं बल्कि विकास तथा लोकतंत्र में भी एक पवित्र एवं सहभागी दृष्टिकोण का विकास किया जाना आव"यक है।समिति के अनुसार यदि ि"ाक्षा को राष्ट्रीय एकता के प्रति कोई महत्वपूर्ण योगदान करना है तो गॉव और मोहल्ला स्तरों पर स्थानीय समुदायों को सुदृढ़ बनाने वाले कार्यक्रमों को भी संचालित करना चाहिए। स्कूल और समुदाय के बीच के संबंध की प्रारंभिक ि"ाक्षा के सर्वीकरण में मूलभूत भूमिका है। आंगनवाड़ियों और ई.सी.सी.ई. केंद्रों का प्रबंध पंचायती राज के माध्यम से पूरी तरह स्थानीय सामुदायिक समूहों को सौंप देना चाहिए। इससे समुदाय के प्रति सार्वजनिक जवाबदेही भी होगी। राममूर्ति समिति का महत्वपूर्ण सुझाव है कि सामुदायिक भागीदारी के लिए सुविचारित समुदाय से संबंध तथा स्थानीय रूप से प्रासंगिक पाठ्यचर्या भी आव"यक है अन्यथा ि"ाक्षा के लाभ समाज के लिए महत्वहीन हो जाएंगे।

भारतीय संविधान में 73वॉ स"ोधन ग्रामीण ि"ाक्षा में सामुदायिक सहभागिता के लिए मील का पत्थर है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 अनुच्छेदों व 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची में 29 विषय पूरी तरह से सामुदायिक सहभागिता पर आधारित हैं। 29 विषयों में ि"ाक्षा, जिसके अतंर्गत प्राथमिक व माध्यमिक ि"ाक्षा, तकनीकी प्र"िाक्षण, व्यावसायिक ि"ाक्षा, पोढ़ और अनौपचारिक ि"ाक्षा व पुस्तकालय शामिल है जो कि ि"ाक्षा में सामुदायिक सहभागिता के लिए द्वार खोलते हैं।

संविधान का 73वॉ स"ोधन स्थानीय समुदायों को अपने बच्चों के लिए ि"ाक्षा में निर्णय लेने के लिए एक वैधानिक संस्थागत अवसर मुहैया करवाता है,जा एक महत्वपूर्ण बदलाव है। (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCERT)

ि"ाक्षा के विकेंद्रित प्रबंध पर वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 1993 में समिति बनाई गई। समिति ने ि"ाक्षा के प्रबंध के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर,ब्लॉक स्तर और गांवो के स्तर पर व्यापक रूप से योजना बनाकर निर्दे"ा सिद्धांत बनाये। समिति का मानना है कि संविधान स"ोधनों के चित्त को ध्यान रखते हुए लोगों की सहभागिता बढ़ानी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को ि"ाक्षा संबंधी कार्यो का प्रत्यायोजन करना चाहिए। समिति ने ग्रामीण ि"ाक्षा समिति को सामुदायिक सहभागिता के लिए एक आद"ा संगठन माना है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCERT में समुदाय और ि"ाक्षा के संबंधों पर व्यापक रूप से रो"ानी डाली है। पाठ्यचर्या से जुड़े निर्णयों के बारे में भी चर्चा को लेकर खुलापन होना चाहिए। समुदायों के पास किसी अनुभव या ज्ञान को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाने या न बनाने को लेकर प्र"न हो सकते है। इसलिए स्कूलों को समुदायों के साथ एक रि"ता बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभिभावक और समुदाय के सदस्य स्कूल में संदर्भ व्यक्ति के रूप में आकर पढ़ाए जा रहे विषय से संबंधित अपना ज्ञान बांट सकते हैं। स्कूल के रख–रखाव के लिए भी समुदाय से मदद ली जा सकती है। स्थानीय मदद से स्कूल की चारदीवारी बनवाई जा सकती है। बच्चों की ि"ाक्षा और अधिगम के संसार में समुदाय की भागीदारी इसलिए होनी चाहिए ताकि समुदाय मौखिक इतिहास का प्रसार बच्चों में कर पाए। साथ ही जहां आव"यक हो वहां स्कूल आलोचनात्मक प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहित करें। स्थानीय कार्यो के लिए स्कूल भवन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चें सीधे ग्राम पंचायत के सदस्यों से संपर्क–संवाद कर सकते है। योजना गतिविधि की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में स्कूल समुदाय को बच्चों की ि"ाक्षा से जोड़ सकता है। इसमें पंचायती राज संस्थाएॅ और ग्राम ि"ाक्षा समिति को शामिल किया जा सकता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का अध्ययन करने से पता चलता है कि 'मुफ्त और आवश्यक शिक्षा' देने में समुदाय की महत्त्वपूर्ण भूमिका हैं। यह ऐतिहासिक अधिनियम इस बात का प्रावधान करता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अपने पड़ोस के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से पाने का अधिकार है।यह अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के केन्द्र और राज्य सरकारों के दायित्व को रेखांकित करता है।निजी स्कूलों में गरीबों और वंचितों के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटों का आरक्षण जरूरी है। अधिनियम में हर तरह की विकलांगता से प्रभावित बच्चों की शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है।प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराए।विद्यालयों के काम काज की निगरानी विद्यालय प्रबंधन समितियों के माध्यम से की जाएगी।स्थानीय सरकारों की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करे कि उसके क्षेत्र का 6–14 वर्ष तक के बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। अपने क्षेत्र के बच्चों का रिकार्ड बनाये जिसमें वंचित वर्ग और कमजोर वर्ग इत्यादि के तरीकों से हो। अपने क्षेत्र में मुफ्त और आवश्यक शिक्षा के लिए अवसंरचनात्मक संसाधन, अध्यापक और सहायक सुविधाओं का अनुवीक्षण करे और अन्य सुविधाओ की उपलब्धता सुनिश्चित करे। विद्यालय प्रबंध समिति में स्थानीय प्राधिकार के निर्वाचित सदस्यों में से एक–तिहाई सदस्य, जिनका विनश्चय स्थानीय प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। इस तरह विद्यालय प्रबंध समिति की विद्यालय विकास योजना तैयार करने के सभी कार्यों में पंचायतों की भागीदारी होगी। अधिनियम का भाग–4 केन्द्रीय सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकार के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व से संबंधित है जिसमें स्थानीय सरकार के कार्यों व उत्तरदायित्व की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। इस तरह से ि"ाक्षा में समुदाय की भूमिका के महत्व को माना गया है।

ग्राम ि"ाक्षा समिति –ग्राम ि"ाक्षा समिति समुदाय की एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो ग्रामीणों को विद्यालयी ि"ाक्षा व्यवस्था में शामिल होने का अवसर प्रदान करती है। समाज के सभी वर्गों महिला, एस.सी., एस.टी., मजदूर, पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ती है और अपने मौलिक हितों की रक्षा के लिए निर्णय लेने का अधिकार भी देती है।प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक कक्षा सहित मध्य विद्यालयों में ग्राम ि"ाक्षा समिति का गठन एक ऐसा उपाय है जो जनभागीदारी एवं लोक स"ाक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा करेगी। ग्राम ि"ाक्षा समिति के निम्न उद्दे"य हैं :

- गॉव में प्राथमिक ि"ाक्षा के विकास में अभिरूचि रखने वाले समर्पित एवं समय देने वाले व्यक्तियों को इसमें शामिल होने का अवसर देना।
- विद्यालयों में शत–प्रति"ात नामांकन, ठहराव एवं उपलब्धि स्तर को अनवरत बनाए रखना।

समुदाय में अभिवंचित वर्गों, यथा – महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मजदूर, विकास, पिछड़ों को समुचित प्रतिनिधित्व देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ताकि साझा हितों की रक्षा के लिए उन्हें भी निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो। इसलिए ग्राम ि"ाक्षा समिति मुख्यतः संबंधित है ।

– ग्रामीण समुदाय को ि"ाक्षा से जोड़ने के लिए

– ि"ाक्षकों को एवं विद्यालयी ि"ाक्षण कार्य को सहयोग प्रदान करने हेतु

– वैकल्पिक ि"ाक्षा एवं विद्यालयों की व्यवस्था कराने के लिए

– गॉव की वर्तमान समस्याओं और व्यवस्थाओं को देखते हुए गॉव की ि"ाक्षा संबंध योजना तैयार करना।

सामुदायिक सहभागिता जिला प्राथमिक ि"ाक्षा कार्यक्रम का प्रमुख उद्दे"य रहा है। इस कार्यक्रम ने ि"ाक्षा में अभिभावक और स्थानीय समुदाय के महत्व को समझा। डी.पी.ई.पी. को भवन निर्माण में बहुत सफलता मिली है। राजस्थान में ि"ाक्षा कर्मी परियोजना में 2000 गांवों में ग्रामीण ि"ाक्षा समिति बनाई जो कि स्कूल भवन निर्माण, मरम्मत, समय–सारणी व केलैण्डर के बनाने में भी सहायता करती थी। लोक जुम्बि"ा परियोजना ने भी सामुदायिक सहयोग के माध्यम से सूक्ष्म–योजना तैयार करने और स्कूली खाका तैयार करने का एक सकारात्मक प्रभाव द"ार्या है। मध्यप्रदे"ा की ि"ाक्षा गारंटी योजना में प्राथमिक ि"ाक्षा की समस्या का हल स्थानीय और स्थानीय सरकार व राज्य सरकार के बीच सहभागिता पर था। इसमें स्थानीय निवासी का गुरु के लिए पहचान कर समुदाय द्वारा सिफारि"ा की जाती थी। इस योजना द्वारा समुदाय प्रतिभावान क्षमता का और स"ाक्तिकरण हुआ है। मध्यप्रदे"ा सरकार की युवा नीति 2008 के अनुसार विद्यार्थियों में कौ"ाल वृद्धि कं लिए स्थानीय सफल व्यापारियों/कारीगरों से सेवाएं ली जाएंगी और स्कूलों के पाठ्यक्रमों में सामुदायिक सहभागिता को महत्व दिया जाना चाहिए। जन"ाला भारत सरकार तथा पांच यू. एन एजेंएियों का एक संयुक्त कार्यक्रम है इसके उद्दे"यों में प्रमुख है– प्रभावी स्कूल प्रबंधन और बाल अधिकारों के संरक्षण में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाना और उसे बनाए रखना। झारखंड ि"ाक्षा परियोजना परिषद द्वारा ग्रामीण ि"ाक्षा समिति का हर महीने का ब्यौरा व वार्षिक केलैण्डर भी प्रका"ित किया जाता है। इससे समुदाय को अनुवीक्षण करने का मौका भी मिलता है।

वर्तमान में ज्यादातर शैक्षिक योजनाओं को सर्व ि"ाक्षा अभियान में शामिल कर लिया गया है।सर्व ि"ाक्षा अभियान शैक्षिक विकास की एक महत्वकांक्षी योजना है। सर्व ि"ाक्षा अभियान के घोषित उद्दे"यों के अनुसार एक नि"चित समय सीमा के अन्दर सभी बच्चों का शत–प्रति"ात नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक ि"ाक्षा सुनि"चत करना है। शैक्षिक योजनाएं और कार्यक्रम चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे बना लिए जाएं परंतु जब तक स्थानीय समुदाय की भागीदारी नहीं होगी

तब तक वह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। सामुदायिक सहभागिता को सर्व ि"ाक्षा अभियान में अनिवार्यता के तौर पर रखा गया है। सर्व ि"ाक्षा अभियान में विद्यालयों के प्रबंध में सक्रिय सामुदायिक सहभागिता के द्वारा सामाजिक, धार्मिक और लैंगिक अंतरों को भरा जायेगा। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें पंचायती राज संस्थाए, स्कूल प्रबंध समितियां, ग्रामीण और शहरी स्लम स्तर की ि"ाक्षा समितियां, अभिभावक–ि"ाक्षक संघ,जनजाति स्वायत्त कांउसिल और अन्य जमीनी स्तर की संरचनाए प्राथमिक ि"ाक्षा के प्रबंध में शामिल हैं। इसमें ि"ाक्षा व्यवस्था द्वारा बच्चे को समाज से पृथक या अलग नहीं किया जाता बल्कि सामुदायिक सुदृढ़ता से बढ़ावा दिया जाता है। यह कार्यक्रम समुदाय आधारित अनुवीक्षण की पारदि"र्ाता पर आधारित है। इस तरह सर्व ि"ाक्षा अभियान का भविष्य समुदाय के उत्तरदायित्व और पारदि"र्ाता पर भी निर्भर करता है।

ि"ाक्षा में सामुदायिक सहभागिता की समस्याओं का स्वरूप

पाठ्यचर्या के निर्माण में उसकी विषयवस्तु के चयन में समुदाय की कोई भागीदारी किसी स्तर पर नज़र नहीं आती है।बच्चों की ि"ाक्षा और सीखने की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी इसी वज़ह से दूर नज़र आती है। पाठ्यक्रम तैयार करने का केन्द्रीय नियंत्रण समुदाय के लिए सही नहीं है। समुदाय की जरूरतों के उनके अनुभव और आवाज़ को महत्व नहीं दिया जाता है।

जानकारो व सूचना के अभाव में भी समुदाय की ि"ाक्षा में भागीदारी नहीं हो पाती है। बहुत से शैक्षिक कार्यक्रमों/परियोजनाओं, सुविधाओं की ग्रामीण समुदाय के लोगों को जानकारी नहीं होती है।

ज्यादातर शैक्षिक योजनाओं को उपर से थोपा जाता है क्योंकि उनमें उन लोगों को शामिल नहीं किया जाता है जिनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। इस तरह के माहौल में शैक्षिक परियोजनाओं के संचालन में समुदाय का सहयोग नहीं मिल पाता है। समुदाय के लोगों को वि"वास में लेकर उपयुक्त शैक्षिक योजनाएं नहीं बनाई जाती है।

शैक्षिक योजनाएं सरकारी तंत्र से मुक्त नहीं है। प्र"ाासनिक तौर तरीकों ने भी समुदाय सहभागिता को जटिल बना दिया है। स्कूल संबंधी विषयों पर नौकर"ाही का रवैया जन समुदाय के साथ सकारात्मक नहीं रहता है।

सामुदायिक सहभागिता को एक उत्पादन की तरह माना जाता है लेकिन आज लोगों की सरकार पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसी मनोवृत्ति से आज ि"ाक्षा में समुदाय की सहभागिता कम होती जा रही है।

सरकारी स्कूलों में बुनियादी और शैक्षिक सुविधाओं का अभाव रहता है। आज प्राइवेट स्कूलों के प्रति समुदाय का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। गरीब कृषक, मजदूर भी जैसे–तैसे अपने बच्चों को जी तोड़ कोि"ा"ा करके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते है। इसलिए सरकारी स्कूलों की ि"ाक्षा की गुणवता अच्छी नहीं है जिससे समुदाय के लोगों की भागीदारी कम होती जा रही है।

विद्यालय द्वारा समुदाय के लोगों पर वि"वास नहीं किया जाता है। जिससे हर तरह की ि"ाक्षा में सामुदायिक सहभागिता पर प्र"न खड़ा हो जाता है।

भारतीय समाज की सामाजिक आर्थिक शक्ति संरचना स्थानीय स्तर पर प्रभाव"ाली है। आर्थिक असमानता वृहत्त स्तर पर है। इसलिए स्थानीय अभिजन निर्णयों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सभी लोगों की विकास प्रक्रिया में भागीदारी नहीं हो पाती है। विद्यालय ि"ाक्षा व्यवस्था में भी यह संदर्भ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

ग्रामीण स्तर पर ि"ाक्षा में सामुदायिक सहभागिता पंचायती राज संस्थाओं पर निर्भर करती है। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय को समुदाय की संस्था के रूप में स्थापित करने की कोि"ा"ा की गई है परंतु इसका बहुत कम प्रभाव नज़र आता है। ग्राम पंचायत सदस्यों को ि"ाक्षा संबंधी अधिकार स्पष्ट तौर पर नहीं पता है। सदस्यों को स्कूली ि"ाक्षा के पर्यवेक्षण के तौर–तरीके अभी पता नहीं है। ि"ाक्षा के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज सदस्यो का प्रभावी प्रि"ाक्षण कार्यक्रम भी नहीं है। पंचायतों को स्कूल के निरीक्षण, वार्षिक केलैण्डर बनाने और पाठ्यक्रम को कोई भी नई दि"ाा देने का अधिकार वास्तविकता से अभी दूर है। ग्रामीण ि"ाक्षा समिति भी कागज़ी तौर पर काम करती पाई जाती है। इसलिए पंचायतों की सक्रिय व उचित भूमिका की मांग ि"ाक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी है।

अध्ययन से प्राप्त सुझाव

मार्क ब्रे 1999 के अनुसार ि"ाक्षा में सामुदायिक सहभागिता नीति प्रारूप निर्माण, संसाधनों की गति"ाीलता, पाठ्यचर्या विकास, अध्यापकों की नियुक्ति व पदावनति, पर्यवेक्षण, वेतन का भुगतान, अध्यापक प्रि"ाक्षण, पाठ्यपुस्तकों को तैयार व वितरण करना, प्रमाणीकरण, निर्माण और मरम्मत इत्यादि विषयों में सामुदायिक सहभागिता का महत्व है। इस तरह मार्क ब्रे ि"ाक्षा के सभी पहलुओं में सामुदायिक सहभागिता को स्वीकारा है। साथ ही ध्यान दिलाया है कि सहभागिता वि"वसनीय हो, यह दोनों तरफ से हो सरकार समुदाय पर और समुदाय सरकार पर वि"वास करे।

विद्यार्थियों का अनु"ाासन, विद्यालयों का समय और छुट्टी कार्यक्रम, विद्यालय भवन की जगह का चयन, विद्यालयों की वित्तिय सहायता, पीने का पानी, शौचालय, खेल का मैदान, हरे–भरे पेड़ पोधै, अच्छा रास्ता इत्यादि में भी सामुदायिक सहभागिता जरूरी है।

विद्यालयों की सुविधाओं, अध्यापकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति, विद्यालय का दैनंदिन प्र"ाासन, शैक्षिक कार्यक्रम व योजनाओं का पर्यवेक्षण समुदाय कर सकता है। शैक्षिक योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण भी किया जा सकता है।

केंद्रीकृत योजना स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखने में सफल नहीं रही हैं। इसलिए f"ाक्षा के नियोजन और प्रबंध का विकेंद्रीकरण आव"यक है। शैक्षिक विकेंद्रीकरण में स्थानीय स्थिति, आव"यकताओं, आकांक्षाओं के अनुकूल f"ाक्षा का प्रबंध किया जा सकता है। इसमें f"ाक्षा के कार्य में उससे संबंधित अधिकाधिक व्यक्तियों की सहभागिता का लाभ प्राप्त होता है।

पाठ्यक्रम और स्थानीयता में गहरा संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण और विषयवस्तु के चयन में समुदाय की भागीदारी जरूरी है। तभी वह स्थानीय जरूरतों के हिसाब से प्रासंगिक बनेगा।

शैक्षिक योजनाओं के निर्माण,कार्यान्वयन,पर्यवेक्षण, आव"यकताएं, प्राथमिकताओं इत्यादि पर समुदाय की सलाह और सहयोग लेना जरूरी है क्योंकि याजनाओं का कार्यान्वयन उन्ही पर होना है। इसलिए शैक्षिक योजनाओं का जन प्रचार होना जरूरी है। f"ाक्षा के प्रबंध में स्थानीय सहायता का समुदाय के मनोवैज्ञानिक यत्नों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा जिससे समुदाय समस्याओं के समाधान में स्वयं प्रयत्न करेगा।

f"ाक्षा को सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में लिया जाना चाहिए। इसमें समुदाय,स्थानीय स्व"ाासन संस्थाएं, f"ाक्षक तथा अभिभावकों का समान उत्तरदायित्व है। f"ाक्षा को केवल एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं समझा जाना चाहिए। पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था '' जब सहयोग का सवाल भी अगर दफतरी जामा पहन लेगा तो बड़ी तकलीफ और परे"ाानी की बात होगी और वह एक बेजान बात हो जाएगी। जन सहयोग का पहला उसूल है कि आप भी जनता के एक हिस्से हो जाएं, आप दूर से बताने वाले न हों, या दूर से सलाह देने वाले न हो।''

स्कूल प्रबंध समिति के अध्यापक, अभिभावक, उच्च,अधिकारियों की मौजूदगी से समुदाय का विद्यालय प्रबंध में भी सहयोग लिया जा सकता है।

स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समुदाय बड़े स्तर पर विद्यालय की मदद कर सकता है क्योंकि उन्हें स्थानीय कलाकारों का सहयोग तथा जनसहभागिता प्राप्त होती है।

गांधी जी के ग्रामीण द"ार्न में आत्मनिर्भर गांव प्रमुख था। गांधी जी गांवों को स्वावलंबी एवं स्व"ाासित इकाइयों के रूप में देखना चाहते थे। आत्मनिर्भरता में जन सहभागिता छुपी हुई है। सरकारी प्रयासों व कार्यक्रमों के द्वारा गांवों में स्वयं कार्य करने की भावना जागृत करनी होगी। लोगों को रचनात्मक कार्यक्रमों से जोड़ना बहुत जरूरी है।

73वें संविधान स"ाोधन के बाद f"ाक्षा में जनसहभागिता पंचायतों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है इसलिए पंचायती राज संस्थाओं का स"ाक्तिकरण बेहद जरूरी है। पंचायतों के पास अपनी व्यवस्था करने के लिए आव"यक मानवीय तथा वित्तिय संसाधन होने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को f"ाक्षा संबंधी कार्यों व उत्तरदायित्वों के संदर्भ में अच्छा प्रf"ाक्षण देना जरूरी है जिससे वे अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझ पायें। शैक्षिक योजनाओं के निर्माण में इन संस्थाओं की भागीदारी जरूरी है क्योंकि कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ज़मीनी स्तर पर इन्हीं संस्थाओं द्वारा संभव है। नौकर"ााही का पंचायतों के प्रति उदासीन रवैया न हो बल्कि उत्साहजनक होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

एम.एच.आर.डी. (1964–66) राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नई दिल्लीः भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

एम.एच.आर.डी. (1986) नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई दिल्लीः भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

एम.एच.आर.डी. (1990) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा समिति की रिपोर्ट (राममूर्ति समिति) नई दिल्लीः भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

एम.एच.आर.डी. (1992) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (संशोधित), नई दिल्लीः भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

एम.एच.आर.डी. (1993) शिक्षा बिना बोझ के, नई दिल्लीः भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

लॉ, जस्टिस एण्ड कम्पनी अफेयर्स मंत्रालय (1993) द कांस्टीट्यूशन (सेवेंटी थर्ड एमेंडमेंट) एक्ट 1992, दिल्ली : भारत सरकार, लॉ जस्टिस एण्ड कंपनी अफेयर्स मंत्रालय

विधायी विभाग (1994) हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994, चंडीगढःहरियाणा, विधायी विभागव्यास,

हरिप्रसाद (1998) ग्राम स्वराज्य, गॉधी जी, अहमदाबाद, नवजीवन प्रकाशन मंदिर

शेठ, शमता (2000) पंचायत राज, नई दिल्ली, हिमांशु पब्लिकेशन्स

मैथ्यू जॉर्ज (2003) भारत में पंचायती राज परिप्रेक्ष्य और अनुभव, नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन

जिला झज्जर (2003) जननायक चौधरी देवीलाल के सपनों का हरियाणा – सपने हुए साकार – सरकार आपके द्वार : विकास का रचा नया इतिहास, झज्जर : हरियाणा, हरियाणा सरकार

अश्वनी (2005) पंचायती राज और शिक्षा का प्रबंधन, परिप्रेक्ष्य पत्रिका, वर्ष 12, अंक 2, नई दिल्लीःनीपा

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी (2005) हरियाणा में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास – पंचायती राज पदाधिकारियों के लिए संदर्भ पुस्तक, नीलाखेड़ीः हरियाणा, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान

एन.सी.ई.आर.टी. (2006) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005,नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी.

संदर्शिका (2007) ग्राम शिक्षा समिति एवं ग्राम निर्माण समिति, चंडीगढ़ः हरियाणा, प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद

मिनिस्टरी ऑफ पंचायती राज (2007–2008) एनुअल रिपोर्ट, नई दिल्लीः भारत सरकार, मिनिस्टरी ऑफ पंचायती राज

पंचायती राज विभाग (2008) फिफ्टीन एनीवर्सरी चार्टर ऑन पंचायत राज इन्क्लुसिव ग्रोथ थ्रू इन्क्लुसिव गर्वनेंस, नई दिल्लीः भारत सरकार, पंचायती राज विभाग

अश्वनी (2009) ग्रामीण शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता, परिप्रेक्ष्य पत्रिका, वर्ष 16, अंक 1, नई दिल्लीः न्यूपा

भारत का राजपत्र (2009) द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एण्ड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट, 2009, नई दिल्लीः भारत सरकार, मिनिस्टरी ऑफ लॉ एण्ड जस्टिस, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट

छठी प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट http://arc.gov.in/6-3pdf,25.9.08

www.panchayat.nic.in

http://rural.nic.in